

(भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड -2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/34/2010-अ.भा.से.-।

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : १२ दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री निंगथोजाम जैफरी, भा.प्र. से. (एएम : 07) को, असम-मेघालय संवर्ग से मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग (मणिपुर खण्ड) में पूर्वान्तर संबंधी वर्तमान नीति के अंतर्गत एतद्वारा स्थानान्तरित करती है।



(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)